

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज
8-5-20	<p>उक्त पत्र पत्रावली में उक्त कार्यवाही राजकीय कार्य से बाहर है / पदरिक्त है / अतः पत्रावली दिनांक 29-5-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>
29-5-20	<p>उक्त पत्र पत्रावली में उक्त कार्यवाही राजकीय कार्य से बाहर है / पदरिक्त है / अतः पत्रावली दिनांक 14-8-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>
14-8-20	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्राथिया उपस्थित अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये, तदुपरांत माण्डल से माँका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा. 8 पठ की गई, पूर्व में सीमा ज्ञान नहीं कराया गया। अप्रार्थीगण को उतनी मर्तवा धावा जे पिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित रहे इनके चिकेह एव वरफा कार्यवाही किये जाने के अर्थ दिखे जाते हैं वकील प्राथिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विषय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फॉरल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा</p>

नम्बर  
अहका  
हुकम  
में

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

गोटासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

कदमा संख्या - 216/19 प्रा.पत्र

श्रीमती प्रेमदेवी श्री कल्याणचन्द्र रेगर निवासी- माण्डल तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

श्री शंकर श्री सेवा रेगर निवासी- माण्डल तहसील-माण्डल [कौरा]  
(मृणांकित प्रा.पत्र सलिंगमह)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14-08-26

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 1163 कुल किता 01 रकबा 18 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह डी होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31-12-19 को पंजीबद्ध किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की रा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को खते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 1163 कुल किता 01 रकबा 18 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाडा